पंजाब राज्य

बनाम

रेनिंदर सिंह एवं अन्य आदि

19 नवम्बर, 2007

[ए.के. माथुर और मार्कंडेय काटजू, जेजे.]

आपराधिक अपील संख्या 1608/2007

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 438(2)(i)-अग्रिम जमानत-उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत-अपील विरुद्ध-अभिनिर्धारितः धारा 438(2)(i) के मद्देनजर, अग्रिम जमानत देते समय न्यायालय यह शर्त अधिरोपित कर सकता है कि अभियुक्त पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को उपलब्ध कराएगा-ऐसे प्रावधानों का उद्देश्य यह है कि अग्रिम जमानत का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-यह स्पष्ट है कि यदि उत्तरदाता अनुसंधान में सहयोग नहीं करता तो राज्य के लिए यह विकल्प खुला है कि वह उच्च न्यायालय में जमानत रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करें, जिसका निर्धारण कानून के अनुसार किया जाएगा।

आपराधिक अपील 2007 की संख्या 1607

न्यायालय की अवमाननाः

उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन एवं शपथ पत्र- पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा आवेदन के साथ शपथ पत्र पेश किया गया, को आवेदन मे दर्शित हो रही शिथिल अभिव्यक्ति के लिए अवमानना का नोटिस जारी- अभिनिर्धारितः सामान्यतः न्यायालयों को अतिसंवेदनशील नहीं होना चाहिए एवं आवेदन में दर्शित शिथिल अभिव्यक्ति को

अति गंभीरता से नहीं लेना चाहिए-अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग बहुत असाधारण मामलों में संयम से होना चाहिए-हालांकि, आवेदनकर्ता को अपने आवेदन में उचित भाषा और सही तथ्य को बताना चाहिए-यद्यपि यह अवमानना नहीं है, परंतु उचित शिष्टाचार बनाए रखा जाना चाहिए-पुलिस अधिकारी ने शपथ पत्र दिया लेकिन वकील जिन्होंने आवेदन तैयार किया था, उन्हें इस तरह के आवेदन का मसौदा तैयार करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी- उन्हें गलत बयान नहीं देने चाहिए-उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा न्यायालय की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए-तथ्यों के आधार पर, यह अवमानना का नोटिस जारी किए जाने का उचित मामला नहीं है-अवमानननाना नोटिस जारी किए जाने का आदेश अपास्त-उत्तरदाता की गिरफतारी पर रोक का आदेश यथावत।

संदर्भ 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टः द नीड फॉर ए फ्रेश लुक' एआईआर 2007 (मार्च) (जर्नल अनुभाग), मार्कंडेय काटजू द्वारा।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1608/2007।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के सीआरएल. एम. नं. 33867-एम/2007 में पारित अंतिम निर्णय/आदेश दिनांक 24-05-2017 से।

साथ में

आपराधिक अपील संख्या 1607/2007।

के.के. खुराना, ए.ए.जी., के.के. वेणुगोपाल, अश्विनी कुमार माटा, रविशंकर प्रसाद, यू.यू. ललित, एल.एन. राव, कुलदीप सिंह, अजय पाल, वैभव डांग, अमरेंद्र कुमार मेहता, राशि खुराना, अतुल नंदा, राजेश कुमार, संदीप बजाज (मैसर्स लॉ एसोसिएट्स एंड कंपनी के लिए) अरुण मोंगा, रमीज़ा और नरेश बख्शी उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया।

आदेश

आपराधिक अपील संख्या 1608/2007 उर्फ एसएलपी (सीआरएल) संख्या 3433/2007।

हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना।

अनुमति दी गई।

हमने आपराधिक विविध संख्या 33867-एम/2007 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के अग्रिम जमानत दिए जाने के आक्षेपित आदेश दिनांक 24 मई, 2007 का अवलोकन किया, पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, हमारी राय है कि इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि उत्तरदाता जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो राज्य के लिए जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश करने का विकल्प उपलब्ध है, जिस पर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि धारा 438(2)(i) दंड प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट है कि अग्रिम जमानत देते समय अदालत यह शर्त लगा सकती है कि अभियुक्त आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा। ऐसे प्रावधान का उद्देश्य यह है कि अग्रिम जमानत का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए, यह अंतर्निहित है कि जब भी न्यायालय अपने आदेश में ऐसी कोई शर्त लगाता है, और पूछताछ या किसी अनुसंधान के लिए बुलाए जाने पर अभियुक्त अनुसंधान अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं होता है तो राज्य के लिए जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में जाने का विकल्प खुला होगा।

हम स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश केवल वर्तमान मामले में एफआईआर तक ही सीमित है।

आपराधिक अपील संख्या 1607/2007 उर्फ एसएलपी (सीआरएल) संख्या 3514/2007।

हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना।

अनुमति दी गई।

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सीआरएल विविध 2007 का संख्या 27116-एम और 2007 का सीआरएम संख्या 36313 में पारित दिनांक 15.5.2007 और 31.5.2007 के आदेशों के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सतर्कता ब्यूरो, लुधियाना को अवमानना नोटिस जारी किया गया था, जिन्होंने शपथ पत्र दिया था। सामान्यतः न्यायालयों को अति संवेदनशील नहीं होना चाहिए और आवेदन में किसी भी शिथिल अभिव्यक्ति को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग बहुत ही असाधारण मामलों में संयमित ढंग से किया जाना चाहिए, जैसा कि हममें से एक (मार्कंडेय काटजू, जे.) द्वारा एआईआर 2007 (मार्च पार्ट) के जर्नल सेक्शन में प्रकाशित एक लेख 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट: द नीड फॉर ए फ्रेश लुक' में कहा गया है और हम उसमें व्यक्त विचारों से सहमत हैं। तथापि, आवेदक को अपने आवेदन में उचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और सही तथ्य बताने चाहिए। हालाँकि यह अवमानना नहीं है, फिर भी उचित मर्यादा बनाए रखी जानी चाहिए। जो भी हो, हमारी राय है कि विद्वान न्यायाधीश को इस मामले में अवमानना नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था। एसएसपी ने शपथ पत्र दिया था लेकिन जिस वकील ने आवेदन तैयार किया है उसे ऐसे आवेदन का मसौदा तैयार करते समय अधिक सावधान रहना चाहिए था। उन्हें गलत

बयान नहीं करने चाहिए। उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा न्यायालय की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमें नहीं लगता कि यह एक उचित मामला है जहां अवमानना नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दिनांक 15.5.2007 के आदेश को यथावत रखते हुए, हमारे द्वारा 31 मई, 2007 के एकल न्यायाधीश के आदेश के अंतिम पैराग्राफ में एसएसपी, सतर्कता ब्यूरो, लुधियाना को नोटिस जारी करने के निर्देश को अपास्त किया जाता है।

तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

अपील निस्तारित है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पूनम सेन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।